

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या- /25 /xxxi(13)/G-65(सू0अ0) /2012
देहरादून: दिनांक ०८ जनवरी, 2013

अधिसूचना संख्या-118 /xxxi(13)G-65(सू0अ0) /2012 दिनांक 07
जनवरी, 2013 द्वारा ^{प्रख्यापित} उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 की प्रति संलग्न
कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नक:-यथोपरि।

आज्ञा से,
6. 8.1. 2013
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या: 118/XXXI (13)G-65 (सू0अ0)/2012
देहरादून: दिनांक 07 जनवरी, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं:

- जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-
 - (क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,
 - (ख) "धारा" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा अभिप्रेत है,
 - (ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,
 - (घ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,
 - (ङ) "बी0पी0एल0" से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय रू0 12,000/- (रू0 बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है,
 - (च) "प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी" से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन योजित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा धारा 19(1) के अधीन नामित अधिकारी से अभिप्रेत है,
 - (छ) 'सूचना' से किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत्त, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े सम्बन्धी सामग्री और किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी, लोक

प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है।

नोट:

- (एक) मत, सलाह अथवा विचार जो किसी अभिलेख, दस्तावेज या किसी सामग्री के रूप में नहीं है, वह 'सूचना' नहीं है।
(दो) किसी कार्य को जैसे किया गया उसे वैसे क्यों किया गया, अन्य किस रूप में किया जा सकता है, जैसे कार्य को किया गया वह उचित है या नहीं आदि विचार या मत सामग्री के रूप में नहीं होने पर 'सूचना' नहीं है।

'अभिलेख' में निम्नलिखित सम्मिलित है:-

- (क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाईल,
(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिको और प्रतिकृति प्रति,
(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिविम्ब या प्रतिविम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे व्यक्ति के रूप में हो या न हो); और
(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।
- (ज) 'सूचना का अधिकार' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है:-
- (एक) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
(दो) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
(तीन) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;
(चार) डिस्कट, फ्लोपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्रेत करना।
- (झ) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिये सूचना विहित करना:

3. राज्य सरकार समय-समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विहित कर सकती है। विहित की गयी सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर अभिलेख रूप में और इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक करेगा।

आवेदन की भाषा:

4. सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- 5.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अनुरोध पत्र दिया जायेगा।
- (ख) 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र, जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ग) विभिन्न लोक प्राधिकारियों से उनकी अभिरक्षा में अथवा नियंत्रण में 'सूचना' को प्राप्त करने के लिए समवस्थित लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारियों अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारियों को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ पृथक-पृथक अनुरोध पत्र दिये जायेंगे।
- (घ) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में है। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना यथा प्रश्नों के उत्तर या ऐसी सूचना जिस पर मत स्थिर कर नया निर्णय लेने की आवश्यकता हो, का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को 'सूचना धारित नहीं है' से अवगत करायेगा।
- (ङ) 'सूचना' के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा एक ही अनुरोध पत्र में एक से अधिक लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की 'सूचना' की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित 'सूचना' के लिए अनुरोध पत्र अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर दिया जायेगा। एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित 'सूचना' का अनुरोध की दशा में अनुरोधकर्ता को ऐसी 'सूचना' के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों से पृथक से आवेदन करने के लिए कहा जायेगा।
- (च) 'सूचना' के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा एक ही अनुरोध पत्र में दो लोक प्राधिकारियों से सम्बन्धित सूचना मांगने पर लोक सूचना अधिकारी अपने लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित 'सूचना' यथा प्रक्रिया

अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायेगा। अन्य लोक प्राधिकारी का स्पष्ट ज्ञान न होने पर अनुरोध पत्र अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोधकर्ता को सूचित किया जायेगा।

(छ) अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके अथवा अन्यथा चिन्हीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी। अनुरोधकर्ता द्वारा 'सूचना' के चिन्हीकरण में लगाने वाले समय की 'सूचना' दिये जाने की अवधि में गणना नहीं की जायेगी।

(ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरुद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपील्य अधिकारी का पदनाम, पता आदि विवरण सूचित करेगा।

(झ) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी 'प्रारूप' में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनुपाती रूप में विचलित न होती हो अथवा आवेदित सूचना के अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

सूचना हेतु शुल्क:

6.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम संदेय रु0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क अनुरोध पत्र के साथ देय नहीं होगा। इस हेतु आवेदक को बी0पी0एल0 कार्ड की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

- (ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्,
- (एक) ए-3 या ए-4 आकार के पृष्ठ(छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रु0 2.00 (दो रूपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,
- (दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु रु0 5.00 मात्र(पांच रूपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,
- (तीन) प्रतिरूप एवं नमूनों की वास्तविक लागत का संदाय किया जाना होगा।
- (ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्
- (एक) डिस्कट अथवा फ्लॉपी पर सूचना दिए जाने हेतु रु0 50.00 मात्र (पचास रूपये मात्र) प्रति फलापी/डिस्कट: और
- (दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति पृष्ठ के लिए रु0 2.00 मात्र(दो रूपये मात्र)।
- (घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:-
- (एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।
- (दो) यदि सूचना/बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हों, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए-4 साईज के) या तैयार करने में रुपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। उसके उपरान्त सशुल्क सूचना उपलब्ध करायी जाएगी। एक लोक प्राधिकारी से

एक माह में उक्त से अधिक पृष्ठों की सूचना निःशुल्क निर्गत नहीं की जायेगी।

- (तीन) यदि सूचना 50 छाया पृष्ठों से अधिक की है या उसमें रुपये 100 से अधिक खर्च आता है तो धारा 7 की उप-धारा (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर, आवेदक से कार्यालय में अभिलेखों, आस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा; सूचना अभिलेख रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप में मांग किये जाने पर 'सूचना' का लागत के समतुल्य शुल्क अदा करने पर ही अभिलेख रूप अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में 'सूचना' निर्गत की जा सकेगी।

राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्व:

- 7.(क) लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन अनुरोधकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने से 30 दिन की निर्धारित अवधि में वांछित सूचना देने हेतु उत्तरदायी होगा।
- (ख) अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना में से कुछ 'सूचना' किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से सम्बन्धित हो, तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 6(3) के अधीन अनुरोध पत्र को सम्बन्धित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर अनुरोधकर्ता को सूचित किया जायेगा।
- (ग) नियम 5 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोधकर्ता को यथासंभव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाएगा।
- (घ) तीसरे पक्ष की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिनियम की धारा 11 के अधीन तीसरे पक्ष से अनापत्ति प्राप्त की जाएगी। यदि तीसरे पक्ष की आपत्ति 10 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो लोक सूचना अधिकारी सूचना देने पर विचार कर सकेंगे।
- (ङ) अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित सूचनाएँ जिन्हें प्रकटन से छूट है, को लोक सूचना अधिकारी अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायेगा।
- (च) निजी सूचनाएँ, जिसका प्रकटन का लोक गतिविधि या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है अथवा जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित अतिक्रमण है, का प्रकटन नहीं किया जायेगा सिवाय तब जब लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर लोक हित में निजी सूचनाओं के प्रकटन न्यायपूर्ण हैं।
- (छ) लोक सूचना अधिकारी अनुरोध की गयी 'सूचना' के उस अंश को प्रकटन करेगा, जो प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है। प्रकटन से छूट

प्राप्त अंश का अनुरोधकर्ता को न निरीक्षण कराया जायेगा और न ही निर्गत किया जायेगा।

विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील:

8.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे। यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि अपीलकर्ता लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं है।

(ख) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा दाखिल अपील पर आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी से पक्ष प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जा सकेंगे और अपीलकर्ता से लिखित पक्ष प्राप्त किया जा सकेगा। अधवा

(ग) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम में उल्लिखित अवधि में किया जायेगा। अपील के निस्तारण के आदेश की प्रति अपीलकर्ता और लोक सूचना अधिकारी को सुलभ करायी जायेगी।

(घ) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील पर विचार करते समय यह समाधान करेंगे कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' प्रकटन की जा सकती है अथवा नहीं। प्रकटन की जा सकने वाली 'सूचना' अनुरोधकर्ता को निर्धारित समय के अन्दर निर्गत की गयी है अथवा नहीं। मांगी गयी वह 'सूचना' जिसका लोक सूचना अधिकारी ने प्रकटन करना अस्वीकार किया है, वह 'सूचना' अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों के अन्तर्गत छूट से प्राप्त है। वह 'सूचना' जिसका प्रकटन धारा 8 के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं है और अपील तक निर्गत नहीं की गयी है, उस सूचना को लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को यथाशीघ्र निर्गत की जायेगी।

(ङ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण 'सूचना' न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क प्राप्त करके निरीक्षण कराकर आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क भुगतान करके दिये जाने के आदेश देगा।

(च) प्रथम अपीलीय अधिकारी इसकी पड़ताल अपील सुनते हुए करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने व्यक्तिगत सूचना प्रकटन करने में अधिनियम की धारा 8(ज) के प्राविधानों के अनुरूप व्यक्तिगत

'सूचना' का प्रकटन करने से मना किया है। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसी व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप व हित से सम्बन्ध रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं है अथवा जिसका प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है उसे प्रकटन से रोका नहीं है।

(छ) प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील के निर्णय, में उपरिलिखित उपनियमों में अंकित बिन्दुओं की विवेचना अंकित करेगा तथा जिस 'सूचना' का प्रकटन निषिद्ध नहीं है उस सूचना का प्रकटन करने के लिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देश निर्गत करेगा।

(ज) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना निर्गत करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जो अधिनियम के अन्तर्गत 'सूचना' नहीं है अथवा प्रकटन से छूट प्राप्त है।

सूचना आयोग में द्वितीय अपील :

who's writ will prevail!

9.(क) अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के अपील निस्तारण के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष किये जाने पर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील करने पर आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(एक) द्वितीय अपील में संबंधित लोक सूचना अधिकारी व प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को उत्तरदाता बनाया जायेगा। अन्य किसी अधिकारी/प्राधिकारी को द्वितीय अपील में उत्तरदाता नहीं बनाया जायेगा।

(दो) द्वितीय अपील पत्र में अपीलकर्ता द्वारा उल्लिखित आधारों पर लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को लिखित रूप से अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(तीन) द्वितीय अपील में आयोग इसकी जांच करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोधकर्ता को आवेदित 'सूचना' अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप सुलभ करायी है अथवा नहीं। आयोग द्वितीय अपील में यह भी जांच करेगा कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप अनुरोधकर्ता को सूचना निर्गत करने के लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया या नहीं। लोक

सूचना अधिकारी ने 'सूचना' निर्धारित अवधि में निर्गत करी है या नहीं। अनुरोधकर्ता को प्रकटन योग्य सूचना प्रकटन न किये जाने से कोई क्षति हुई या नहीं। अपीलकर्ता को जो क्षति हुई है, उसका मूल्यांकन क्या है। आयोग उक्त बिन्दुओं पर आवश्यक पड़ताल करके द्वितीय अपील का आदेश पारित करेगा।

- (चार) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में किसी जांच का निर्देश नहीं दिया जायेगा।
- (पांच) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।
- (छ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को सुनवायी में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करके लोक सूचना अधिकारी अथवा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकेंगे।
- (सात) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवायी के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी पर आवश्यक होने पर शास्ति आरोपित करेगा।
- 9 { लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उक्त कार्यवाही द्वितीय अपील की कार्यवाही से पृथक रूप से की जायेगी।
- (ग) (एक) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
- (दो) उक्त उपखण्ड(एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

(तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग द्वारा निर्गत नोटिस का तामिल निम्नवत् किया जा सकेगा:-

- (एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से;
(दो) तामिलकर्ता के माध्यम से दस्ती;
(तीन) साधारण डाक द्वारा; या
(चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।
(पाँच) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।

किन्तु अग्रतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड(पाँच) के अनुसार तामिल प्रथम चार तरीकों से तामिल न होने की दशा में ही किया जायेगा।

(ङ) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा:-

(एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता का सहयोग ले सकेगा।

(दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाएंगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रमाणित किए जाएंगे।

धारा 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया:

10.(क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा। द्वितीय अपील में पारित आदेश का अनुपालन कराने के लिए आयोग को शिकायत प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

(ख) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजा जायेगा और शिकायत पर अपना पक्ष लिखित रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के आवश्यक हो। ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो।

(ङ) आयोग शिकायत की जांच करके दोषी लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए शास्ति आरोपित कर सकेगा अथवा लोक

सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति कर सकेगा।


आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली:

11. (क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के दो माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल किया जा सकेगा।
- (ख) आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।
- (ग) आयोग लोक प्राधिकारी पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ स्वयं लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ क्षतिपूर्ति को नोट कर लिया गया है।
- (घ) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग को आदेश की पावती प्राप्त होना इस बात का प्रमाण होगा कि लोक प्राधिकारी ने शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश को वसूली के प्रयोजनार्थ नोट कर लिया है। पावती प्राप्त होने पर आयोग शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने से सम्बन्धित प्रचलित कार्यवाही समाप्त कर देंगे और इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा अनुश्रवण नहीं किया जायेगा।
- (ङ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।
- (च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार

समय-समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार किया जायेगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति:

12. यदि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो।


(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।